WEEKLY FOCUS
#81 | OCT 2022

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
www.visionias.in

भारत में थर्ड जेंडर

पहचान से लेकर मुख्यधारा में उन्हें शामिल करने तक

परिचय

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ वाद के फैसले ने भारत के कई लोगों की जिंदगियां बदली है। हाल ही में, इस ऐतिहासिक फैसले के **4 वर्ष पूर्ण** हो गए हैं। इस वाद में **भारतीय दंड संहिता** (IPC) की धारा 377 के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया था। इसके साथ ही वयस्कों के मध्य सहमति आधारित समलैंगिक संबंधों अर्थात् समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। इससे पहले इस संदर्भ में वर्ष 2014 में **नालसा बनाम भारत संघ वाद** का निर्णय आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **समलैंगिक व्यक्तियों को आत्म–पहचान का अधिकार दिया गया था** तथा **उन्हें थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता** प्रदान की गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास करते हुए **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** प्रस्तुत किया था। इन घटनाओं ने थर्ड जेंडर को मुख्यधारा में लाने तथा उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान की दिशा में अनेक पहलों को बढ़ावा दिया है।

इस संदर्भ में, हम अग्रलिखित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तथा उनका उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे: (i) भारत में थर्ड जेंडर व्यक्तियों को कानूनी रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है और उनके अधिकार क्या हैं? (ii) थर्ड जेंडर व्यक्तियों को अपने विकास के संबंध में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? (iii) थर्ड जेंडर व्यक्तियों के लिए कौन–सी पहलें की गई हैं? (iv) इसके अतिरिक्त, भारत में थर्ड जेंडर व्यक्तियों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

भारत में थर्ड जेंडर को कानूनी रूप से कैसे परिभाषित किया गया है और उनके अधिकार क्या हैं?

थर्ड जेंडर की अवधारणा नई नहीं है, बल्कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उदाहरण महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों तथा शास्त्रों में भी मिलते हैं। **2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की कुल आबादी लगभग 4.88 लाख** है।

- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार,** "ट्रांसजेंडर व्यक्ति" ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिनकी लैंगिक पहचान (Gender) जन्म के समय निर्धारित लिंग के साथ मेल नहीं खाती है। इनमें ट्रांस–पुरुष एवं ट्रांस–महिलाएं शामिल होती हैं, फिर चाहे ऐसे व्यक्ति ने लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी (Sex Reassignment Surgery) या हार्मोन उपचार अथवा लेजर उपचार या इस तरह का अन्य उपचार कराया हो या नहीं। इसके अलावा, ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी में अलग–अलग प्रकार के इंटरसेक्स (Intersex), जेंडरक्वीर (Genderqueer) और इसी प्रकार के सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति भी शामिल हैं, उदाहरण के लिए– किन्नर, हिजड़ा, अरावनी और जोगता।
- ये **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19(1) और 21** के तहत समान अधिकार एवं संरक्षण के हकदार हैं।
- साथ ही, एक मनुष्य होने के नाते भी यह समुदाय कुछ सार्वभौमिक अधिकारों के लिए पात्र हैं। हालांकि, **योग्याकार्ता सिद्धांतों** (Yogyakarta Principles) ने उल्लेखनीय रूप से इनसे जुड़े सार्वभौमिक अधिकारों की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इन सिद्धांतों को इसलिए विकसित किया गया था, ताकि अलग **लैंगिक अभिविन्यास (सेक्सुअल ओरिएंटेशन) और लैंगिक पहचान की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान** की जा सके।
  - योग्याकार्ता सिद्धांतों को 29 सिद्धांतों की एक सूची के रूप में विकसित किया गया था। इसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम आदि सहित 29 हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल हैं। इसके अलावा, **वर्ष 2017 में "योग्याकार्ता प्लस 10" पहल को भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्वीकृति प्रदान** की गई थी।
  - ये मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों के अनुरूप तैयार किए गए मानदंड हैं। ये **सभी व्यक्तियों पर विशेषकर उनके लैंगिक अभिविन्यास, लैंगिक पहचान, लैंगिक अभिव्यक्ति और लैंगिक विशेषताओं के आधार पर लागू** होते हैं।
  - ये सिद्धांत **बाध्यकारी मानक** हैं, जिनका सभी देशों द्वारा पालन करना आवश्यक है। इन सिद्धांतों के तहत सदस्य देशों को अपने नागरिकों के मध्य समानता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, चाहे उनका लैंगिक अभिविन्यास कुछ भी हो।

योग्याकार्ता सिद्धांत

- हिंसा, भेदभाव और अन्य खतरों के विरुद्ध **राज्य द्वारा संरक्षण का अधिकार।**
- लिंग, लैंगिकता, लैंगिक अभिविन्यास तथा लैंगिक पहचान से निरपेक्ष **कानूनी मान्यता का अधिकार।**
- शारीरिक एवं मानसिक स्वतंत्रता, **स्वायत्तता और स्वनिर्णयन का अधिकार।**
- अपराधीकरण और किसी भी प्रकार के **प्रतिबंधों से मुक्त होने का अधिकार।**
- सभी प्रकार की गरीबी और **सामाजिक बहिष्कार से सुरक्षा का अधिकार।**
- समान, पर्याप्त, सुरक्षित और सतत **स्वच्छता एवं सफाई का अधिकार।**

अपने विकास के संबंध में थर्ड जेंडर समुदायों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

संवैधानिक और कानूनी संरक्षण के बावजूद, थर्ड जेंडर को अब तक मुख्य धारा के लैंगिक विचार–विमर्श के दायरे में नहीं लाया जा सका है। अतः ऐसे में उन्हें अपने जेंडर के कारण उपेक्षा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

यह स्थिति इन्हें महिलाओं की तुलना में अधिक अधिकार विहीन और कमज़ोर लैंगिक समूह बना देती है। अतः इस संदर्भ में, उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों की गंभीरता को समझना अत्यंत आवश्यक है।

- **सामाजिक–आर्थिक**
  - **उपेक्षा और सामाजिक बहिष्करण (Marginalization and Social Exclusion):** लैंगिक अभिविन्यास से जुड़े कलंक अपेक्षित सामाजिक मानदंड के दायरे में शामिल नहीं किए जाते हैं। ये कलंक थर्ड जेंडर व्यक्तियों को सामाजिक रूप से हाशिए पर धकेल देते हैं। इसके कारण उन्हें कई प्रकार के भेदभाव, जैसे– नस्लवाद, लिंगभेद, होमोफोबिया आदि का सामना करना पड़ता है।
  - **कार्यस्थल पर भेदभाव:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के वर्ष 2018 के अध्ययन के अनुसार, 96 प्रतिशत ट्रांसजेंडर्स को नौकरी देने से मना कर दिया जाता है। इस कारण उन्हें आजीविका के लिए कम वेतन वाले या अगरिमापूर्ण कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
  - **शिक्षा व्यवस्था:**
    - **नीति का उचित तरीके से कार्यान्वयन नहीं:** विशेष प्रावधानों की कमी तथा मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में थर्ड जेंडर समुदाय को शामिल करने की नीति के खराब कार्यान्वयन के कारण शैक्षणिक संस्थानों तक उनकी पहुंच सीमित रही है।

- **निरक्षरता: परिवार/समाज से निकाले जाने, गरीबी, शिक्षकों/कर्मचारियों के असंवेदनशील व्यवहार** तथा हिंसा और लैंगिक शोषण जैसे कारकों के कारण इनकी साक्षरता का निम्न स्तर है। इसके कारण शिक्षा को बीच में ही छोड़ने (उच्च ड्रॉपआउट दर) जैसी चुनौतियां भी बढ़ी हैं।
    - 2011 की जनगणना के अनुसार, सामान्य जनसंख्या (74 प्रतिशत) की तुलना में **ट्रांसजेंडर समुदाय में साक्षरता दर लगभग 46 प्रतिशत** है।

- **आवास संबंधी चुनौतियां:** ये समुदाय सामान्यतः अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आवासीय सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्वीर (लैंगिक रूप से थोड़ा अलग होना) पहचान के कारण उन्हें अधिकांश जीवन शहरों की सडकों पर व्यतीत करना पड़ता है। गौरतलब है कि उनकी क्वीर पहचान के कारण उन्हें परिवार से निकाल दिया जाता है या अपमानजनक परिवेश से बचने के लिए उन्हें घर छोड़ने हेतु मजबूर होना पड़ता है।
    - **इसके अतिरिक्त समलैंगिक युगल, ट्रांसजेंडर आदि को आश्रय गृहों के अभाव,** आश्रय प्रणाली में बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। साथ ही, घरेलू हिंसा की पीड़ितों के लिए बनाए गए आश्रय गृहों में अधिकांश समलैंगिक पुरुषों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जगह नहीं मिल पाती है।
    - **ट्रांसफोबिया या ट्रांसजेंडर के प्रति पूर्वाग्रह से जुड़ी समस्याएं:** गैर–विषमलैंगिक (Non–heterosexual) व्यवहार के प्रति नकारात्मक भावनाएं और दृष्टिकोण ट्रांसजेंडर्स के प्रति पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देते हैं। ये थर्ड जेंडर समुदायों के प्रति भेदभाव के मूल कारण हैं।
    - **ये शारीरिक हमलों, भेदभाव और नकारात्मक मीडिया छवि** को बढ़ावा देते हैं। इससे समाज में ऐसे समुदायों का **एकीकरण बाधित** होता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल में बाधा:** 'ट्रांसजेंडर चिकित्सा' में **विशेषज्ञता प्राप्त सेवा प्रदाताओं की कमी, वित्तीय सहायता, क्लिनिकल सुविधाओं के अभाव** आदि के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सीमित है।
    - उदाहरण के लिए– **वर्ष 2017 में भारत में 3.1% ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में HIV के प्रसार की संभावना** व्यक्त की गई थी। यह देश के अन्य समुदायों (HIV संक्रमण की संभावना वाले) में दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत था।
    - **मनोवैज्ञानिक तनाव:** सामाजिक अस्वीकृति, हिंसा, अलगाव, स्कूलों में डराने–धमकाने की प्रवृत्ति आदि के कारण उनमें **चिंता, अवसाद, मादक पदार्थों के सेवन और आत्मघाती विचारों की प्रवृत्ति देखी जाती** है।

राजनीतिक मुद्दे:

- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** अपनी पहचान संबंधी अस्पष्टता और समाज में थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता न मिलने के कारण यह समुदाय मौलिक अधिकारों का लाभ उठाने में असमर्थ रहा है।
    - उन्हें अपनी लैंगिक पहचान को उजागर करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा आदि संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को बढ़ावा मिलता है।
- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** ये पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पहचान–पत्र आदि प्राप्त करने जैसे अलग–अलग मानवाधिकारों से वंचित रहे हैं।
- **कम प्रतिनिधित्व:** सामाजिक कलंक और अन्याय को देखते हुए, **एक मतदाता के रूप में उनकी भागीदारी अत्यंत सीमित** है। इसके अलावा, **निर्णय लेने वाले निकायों**, जैसे– विधान सभा, संसद और शहरी स्थानीय निकायों में भी उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है।
    - वर्ष 2019 तक, केवल **8 प्रतिशत** ट्रांसजेंडर आबादी को **'अन्य' मतदाता के रूप में पंजीकृत** किया जा सका है। साथ ही, केवल **एक प्रतिशत ट्रांसजेंडर आबादी ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग** किया है।
    - हालांकि, वर्ष 2019 के चुनावों के दौरान 'अन्य' मतदाताओं की संख्या में 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, **लेकिन पंजीकृत थर्ड जेंडर मतदाताओं के केवल 14.6 प्रतिशत हिस्से ने ही मतदान** किया था।

> **"मुझे गुमनाम और पहचान रहित जीवन के प्रति कभी दिलचस्पी नहीं रही।"** –**लावर्न कॉक्स, अभिनेत्री और LGBTQ** पक्षकार

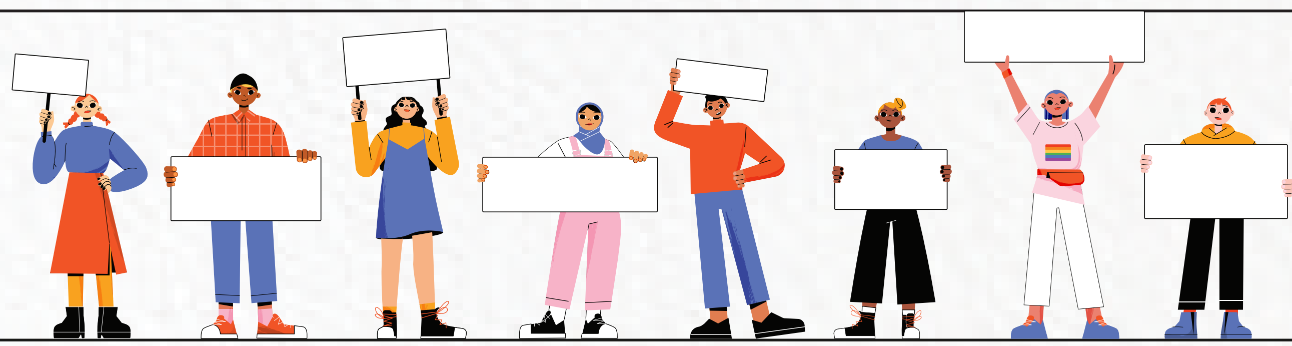

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का विश्लेषण

इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए पेश किया गया था। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े मामलों और नए मुद्दों को भी शामिल करता है।

विशिष्टता	अधिनियम की विशेषताएं	अधिनियम से जुड़ी चिंताएं
परिभाषा	• ट्रांसजेंडर वह व्यक्ति होता है, जिसकी लैंगिक पहचान **जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाती है।** • इसमें ट्रांस–पुरुष, **ट्रांस–महिलाएं, अलग–अलग प्रकार के इंटरसेक्स** (Intersex), जेंडरक्वीर और समान सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति शामिल हैं। उदाहरण के लिए– किन्नर और हिजड़ा।	• ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा **अस्पष्ट और भ्रामक** है। • ट्रांसजेंडर्स की लैंगिक पहचान **उनके जन्म के समय निर्धारित पहचान से अलग होती है,** जबकि इंटरसेक्स (Intersex) जैविक विशेषताओं पर आधारित लैंगिक विविधता को इंगित करता है। • ट्रांसजेंडर की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें "इंटरसेक्स भिन्नता वाले लोगों" को शामिल नहीं किया जा सकता है।
पहचान प्रमाण–पत्र	• यह अधिनियम किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को **'ट्रांसजेंडर' के रूप में पहचानने की अनुमति** देता है। इस आधार पर वह व्यक्ति स्वयं को ट्रांसजेंडर घोषित करने वाला प्रमाण–पत्र **जिलाधिकारी से प्राप्त कर सकता है।**	• यह अधिनियम किसी व्यक्ति को **स्व–निर्धारण का अधिकार नहीं देता है।** ऐसा इसलिए, क्योंकि इसमें जिलाधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील या समीक्षा के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है।
कल्याणकारी उपाय	• **समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भागीदारी,** उनके बचाव व पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार आदि को सुनिश्चित करने हेतु सरकार उपाय करेगी।	• इस बारे में **कोई प्रावधान नहीं है कि** पुरुष या महिला जेंडर प्रमाण–पत्र रखने वाले ट्रांसजेंडर लोगों के लिए **सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तक पहुंच** होगी या नहीं।
भेदभाव पर प्रतिबंध	• यह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है।	• यह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ मामले में **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** द्वारा **निर्देशित रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है।** • इसमें **नागरिक अधिकारों**, जैसे– विवाह का अधिकार, गोद लेने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार आदि के बारे में **कोई उल्लेख नहीं** है।
अपराध और दंड	• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों और लैंगिक उत्पीड़न के मामलों में **आर्थिक जुर्माने तथा छह माह से लेकर दो वर्ष तक के कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है।**	• यह अधिनियम लैंगिक दुर्व्यवहार को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में भी विफल है। • बलात्कार, लैंगिक शोषण या उत्पीड़न जैसे जघन्य अपराधों के लिए केवल **दो वर्ष की कैद अपर्याप्त प्रतीत होती है।** ▪ दूसरी ओर, सिस–जेंडर (Cisgender) महिला के प्रति अपराध में लैंगिक उत्पीड़न के लिए 7 वर्ष की कैद का प्रावधान है।
सुरक्षित आश्रय	• प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को **अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार है।** • अगर किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति का परिवार उसकी देखभाल नहीं करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय के आदेश के बाद पुनर्वास केंद्र में भेजा जा सकता है।	• उन्हें LGBTQ समुदाय में भेजने की बजाय पुनर्वास केंद्र भेजने का प्रावधान है, जबकि वे अपने लोगों के साथ अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।

थर्ड जेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकारों पर कोविड–19 महामारी का प्रभाव

कोविड–19 महामारी ने दुनिया के सभी क्षेत्रों में व्याप्त असमानताओं को बढ़ा दिया है। इस महामारी ने लेस्बियन, गेय, बायसेक्सुअल, ट्रांस, क्वीर एंड इंटरसेक्स प्लस (LGBTQI+) व्यक्तियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। महामारी के दौरान LGBTQI+ व्यक्तियों द्वारा सामना की गईं कुछ चिंताएं निम्नलिखित हैं:

- **हिंसा:** LGBTQI+ समुदाय के बीच परिवार के सदस्यों द्वारा अपमान, हिंसा, जबरन विवाह और आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ीं हैं, क्योंकि महामारी के दौरान वे घरों में रहने के लिए मजबूर थे। उदाहरण के लिए– तमिलनाडु में दो महिलाओं द्वारा आत्महत्या किया जाना।
- **स्वास्थ्य:** स्वास्थ्य प्रणालियों पर अत्यधिक भार के कारण LGBTQI+ लोगों के HIV परीक्षण, हार्मोनल उपचार और ट्रांस लोगों के लिए जेंडर अफर्मिंग ट्रीटमेंट (लैंगिकता–पुष्टि उपचार) जैसे उपचारों को प्राथमिकता नहीं दी गई है।
    - साथ ही, सरकारों ने दवा वितरण और चिकित्सीय सहायता देने वाले केंद्रों को कोविड–19 केंद्रों में बदल दिया था।
- **आर्थिक:** कोविड–19 के कारण परिवार द्वारा त्याग दिए जाने और नौकरियां खोने की वजह से LGBTQI+ समुदाय के बीच गरीबी तथा निराश्रयता बढ़ गई है।
- **राहत प्राप्त करने में कठिनाई:** चूंकि बड़ी संख्या में LGBTQI+ व्यक्तियों के पास उचित सरकारी पहचान–पत्र नहीं है, इसलिए उन्हें राज्य द्वारा प्रदान किए जा रहे राहत देखभाल पैकेज और सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

इन समस्याओं के लिए महामारी के दौरान उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **स्वास्थ्य:** LGBTQI+ व्यक्तियों तक पहुंचने और उनकी मदद करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। इसमें पोषण, प्रत्यक्ष नकद अंतरण और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित सहायता भी दी जा रही है।
    - हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और एंटी–रेट्रोवायरल दवाओं के वितरण को एक आवश्यक सेवा के रूप में घोषित किया गया है।
    - LGBTQI+ व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और सहायता हेतु सामुदायिक हेल्पलाइन बनाई गई है।
- **राहत:** LGBTQI+ समुदाय से जुड़े गैर–सरकारी संगठनों की सहायता से **वस्तुओं, राशन और अन्य सेवाओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुविधाजनक** बनाया गया है।
    - सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड बनवाने में सहायता प्रदान की जा रही है।
    - पीएम केयर फंड के लिए बैंक खाते खुलवाने में भी सहायता प्रदान जा रही है।
- **सामाजिक: LGBTQI+** द्वारा सामना किए जाने वाले लिंगभेद, ट्रांस–फोबिया, हिंसा और भेदभाव को दूर करने के लिए समाज में जागरूकता पैदा की जा रही है। इस जागरूकता की सहायता से उनके प्रति सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

एक छोटी सी वार्ता!

ट्रांसजेंडर बच्चों के सामने चुनौतियां

विनी: अरे विनय! क्या तुम्हें पता है कि भारत में ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है।

विनय: हाँ विनी। मैंने इसे देखा है, क्योंकि मेरा एक दोस्त भी ट्रांसजेंडर (TG) समुदाय से है।

विनी: अच्छा। फिर तो, तुम्हारे दोस्त के लिए इस भेदभाव से रोजाना निपटना बहुत कठिन होता होगा।

विनय: हाँ। स्कूल, घर आदि में ट्रांसजेंडर बच्चों के प्रति भेदभाव काफी बढ़ गया है।

विनी: स्कूलों में सहपाठी उन्हें अलग लैंगिकता की वजह से परेशान करते हैं। इससे ट्रांसजेंडर बच्चों में तनाव बढ़ता है। इसके अलावा, शिक्षक भी उन पर उचित ध्यान नहीं देते हैं, जिससे वे अलगाव महसूस करते हैं। उनके साथ अन्य सहपाठियों की तरह समान व्यवहार नहीं किया जाता है।

विनय: सही बात है। इन सब दबावों और तनाव से बचने के लिए वे शिक्षा व्यवस्था से बाहर निकल जाते हैं। इसके कारण उनके लिए रोजगार के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं।

विनी: सही बात है विनय। शैक्षिक और रोजगार के अवसरों हेतु उनके लिए सुविधाजनक माहौल की ज़रूरत है।

विनय: बिल्कुल। राज्य और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वे समावेशी शिक्षा के लिए शैक्षिक संस्थानों को संवेदनशील बनाने हेतु एक प्रणाली विकसित कर सकें।

विनय: साथ ही, समाज को संवेदनशील बनाने के लिए स्कूल में किशोर शिक्षा पाठ्यक्रम में थर्ड जेंडर से संबंधित अध्याय को शामिल किया जाना चाहिए। यह स्कूल स्तर पर भेदभाव को दूर करने के लिए एक प्रभावी कदम हो सकता है।

विनी: तुमने सही कहा विनय।

थर्ड जेंडर के व्यक्तियों के लिए क्या पहलें की गई हैं?

जैसा कि पिछले खंड में चर्चा की गई है कि थर्ड जेंडर लंबे समय से कई क्षेत्रों में उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। हालांकि, उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कई कल्याणकारी उपाय भी किए गए हैं।

- **प्रशासनिक उपाय**
  - **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCT):** इसका गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) द्वारा **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** के तहत किया गया है। इसमें अध्यक्ष (MoSJE के केंद्रीय मंत्री– पदेन) तथा **उपाध्यक्ष** (MoSJE के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री– पदेन) शामिल हैं।
  - **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल:** इसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के अनुरूप लॉन्च किया गया है। यह ट्रांसजेंडर समुदाय को देश में कहीं से भी प्रमाण–पत्र और पहचान–पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा।
  - **थर्ड जेंडर कॉलम:** रेल मंत्रालय ने वर्ष 2016 में अपने आरक्षण फॉर्म में एक थर्ड जेंडर कॉलम शामिल किया था। इसके साथ ही, रेलवे टिकट फॉर्म में ऑप्शन के रूप में ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया था। इससे पहले, फॉर्म में केवल पुरुष और महिला कॉलम होते थे।
    - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने वर्ष 2020 में सभी केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों को प्रासंगिक परीक्षा नियमों तथा आवेदन फॉर्म को संशोधित करने के लिए कहा था। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की सभी नौकरियों के लिए 'ट्रांसजेंडर' को एक अलग श्रेणी के रूप में शामिल करना है।
- **सामाजिक–आर्थिक उपाय**
  - **रोजगार:** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के जरिए भी ट्रांसजेंडर लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं।
  - **SMILE (आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता) योजना:** यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) द्वारा तैयार की गई एक केंद्रीय क्षेत्रक (CSS) की योजना है। इसे वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 तक लागू किया जाएगा।
    - यह एक अंब्रेला योजना है। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का कल्याण व पुनर्वास करना है।

सर्वोत्तम प्रयास– राज्यों की पहलें

कई राज्यों ने ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई पहलें की हैं, जैसे:

- **ओडिशा: ओडिशा ट्रांसजेंडर नीति, 2017** के मसौदे का लक्ष्य उन बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है, जिनकी लैंगिकता की पुष्टि नहीं हुई है।
  - इसके अलावा, ओडिशा **ट्रांसजेंडर समुदाय को खाद्यान्न, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास लाभ प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य** बन गया है। इस प्रकार उन्हें गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है।
- **कर्नाटक:** यह सभी सरकारी सेवाओं में 'ट्रांसजेंडर' समुदाय के लिए एक प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
- **केरल:** यह भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नीति लाने वाला पहला राज्य है। **केरल की ट्रांसजेंडर नीति, 2015** में पुरुष, महिला और इंटरसेक्स लोगों सहित सभी श्रेणियों के ट्रांसजेंडर शामिल हैं।
  - **सकल्यम योजना:** इस योजना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके और उनका उत्थान किया जा सके। इसका उद्देश्य वंचित ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- इसके अलावा, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में ट्रांसजेंडर न्याय बोर्ड की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय की शिकायतों से निपटना और इस समुदाय के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करना है।

- **समग्र स्वास्थ्य पैकेजः** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और MoSJE द्वारा आयुष्मान भारत–PMJAY के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समावेशी व समग्र स्वास्थ्य पैकेज प्रदान किए जाते हैं।
- **पी.एम.–DAKSH / दक्ष (प्रधान मंत्री – दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही):** पी.एम.–दक्ष की सहायता से SMILE योजना के ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। पी.एम.–दक्ष, MoSJE की कौशल विकास योजना है।
- **आश्रय गृह– गरिमा गृहः** इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भोजन, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय प्रदान करना है। यह उन्हें गरिमा और सम्मान का जीवन जीने में सक्षम बनाएगा।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के कार्य

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने और समानता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी एवं मूल्यांकन करना
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मामलों से निपटने वाले सभी सरकारी विभागों और गैर–सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा व उनका समन्वय करना
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना
- ऐसे अन्य कार्य करना, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हों

क्या आप जानते हैं?

- **होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बाइफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवसः** इसे वर्ष 2004 से हर साल 17 मई को मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य LGBTQI+ के प्रति हिंसा और भेदभाव की ओर ध्यान आकर्षित करना है।
- वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम है– **"हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारे अधिकार (Our Bodies, Our Lives, Our Rights)"।**

भारत में थर्ड जेंडर व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा

शिक्षा का अधिकार सभी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों में से एक है। इसी प्रकार, **थर्ड जेंडर व्यक्ति के बच्चों को भी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।** इसकी शुरुआत के लिए, **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 में एक जेंडर समावेशन कोष** स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, यह नीति ट्रांसजेंडर बच्चों को **सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों** (SEDGs) के रूप में वर्गीकृत करती है। समावेशिता का मूल अर्थ छात्रों को लिंग, वर्ग और जाति के आधार पर भेदभाव किए बिना शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देना है। थर्ड जेंडर के लिए शिक्षा को समावेशी बनाने के कुछ तरीके निम्नलिखित हैं:

- **जागरूकताः सूचनात्मक जागरूकता अभियान** और शिक्षा की सहायता से LGBTQI+ समुदाय की स्वीकार्यता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- **समावेशी पाठ्यक्रमः** इस संबंध में भारत स्कॉटलैंड से सीख सकता है, जो वर्ष 2021 में LGBTQI+ **समावेशी स्कूल पाठ्यक्रम** शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। इसके तहत, स्कॉटलैंड के स्कूलों में छात्रों को LGBTQI+ **आंदोलनों और होमोफोबिया, बाइफोबिया व ट्रांसफोबिया आदि से निपटने के तरीकों के बारे में सिखाया जा रहा है। उदाहरण के लिए –**
  - समावेशी भाषा पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे– "पति/पत्नी" की बजाय "साथी" शब्द का उपयोग करना।
  - व्यापक लैंगिक शिक्षा के तहत समलैंगिकता को एक बीमारी या विकार के रूप में देखने की बजाय सेक्सुएलिटी को समझने में युवाओं की मदद करना।

- **शिक्षक प्रशिक्षण:** सभी शिक्षकों के लिए **अनिवार्य प्रशिक्षण या रिफ्रेशर प्रोग्राम (पुनश्चर्या कार्यक्रम)** शुरू करना, जिसमें जेंडर, भाषा समावेशिता और अलग-अलग लैंगिक पहचानों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाना शामिल है।
  - समावेशी व्यवहार को बढ़ाने में शिक्षक सहयोगी हो सकते हैं। वे यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि शैक्षणिक संस्थान LGBTQI+ छात्रों के लिए सुरक्षित और सहायक स्थान हैं।
- **स्वास्थ्य पेशेवर:** शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित मनोरोग स्वास्थ्य पेशेवर और कर्मी, लैंगिक बहुलता तथा समावेशिता के मुद्दों पर उत्पीड़न एवं धमकी की शिकायतों का समाधान कर सकते हैं।

"यह नितांत आवश्यक है कि दुनिया भर में हर इंसान की स्वतंत्रता और उसके मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए।"
– जोहाना सिगुरार्डोटिर, आइसलैंड के पहले समलैंगिक प्रमुख।

भारत में थर्ड जेंडर समुदायों के सर्वांगीण समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

भारत और दुनिया भर में थर्ड जेंडर समुदाय के लिए न्याय सुनिश्चित करना, उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही, लोगों को थर्ड जेंडर के अधिकारों के बारे में शिक्षित करना और उन अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। थर्ड जेंडर को मुख्यधारा में लाने और उनकी स्थितियों में सुधार करने के लिए कई हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- **आर्थिक समावेशन:** नीतियों और पहलों में LGBTQI+ व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण, रोजगार योग्यता तथा उद्यमिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे उनके आर्थिक समावेशन को सुनिश्चित किया जा सकेगा। LGBTQI+ के नेतृत्व में चलने वाले व्यवसायों की मदद के लिए स्टार्टअप पूंजी और ऋण तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।
- **नीतिगत हस्तक्षेप:** औपचारिक गैर-भेदभावपूर्ण नीतियों को सभी व्यवसायों में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, इन नीतियों को लागू करने और इनके अनुपालन की निगरानी करने हेतु आवश्यक प्रणाली भी स्थापित की जानी चाहिए। इसके अलावा, नीति निर्माण के दौरान हितधारकों अर्थात् LGBTQI+ समुदाय के लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- **सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (SRS) द्वारा लिंग/जेंडर परिवर्तन:** SRS द्वारा लिंग/जेंडर परिवर्तन कराना एक कठिन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अतः लिंग/ जेंडर परिवर्तन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। इनमें पुनर्वास सहायता और परामर्श की सुविधा भी शामिल होनी चाहिए।
- **पुनर्वास:** थर्ड जेंडर के लोगों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बचाव और पुनर्वास उपायों सहित निवास का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही, इनके प्रति हिंसा और भेदभाव को खत्म करने के लिए इनके आश्रय स्थलों की निगरानी भी की जानी चाहिए। इस अभियान में सिविल सेवा संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों आदि का सहयोग लिया जा सकता है।
- **ट्रांस-समावेशी कार्यक्षेत्र:** संगठनों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे-
  - जेंडर समावेशिता,
  - कार्यस्थल पर सभी जेंडर्स के अधिकारों की सुरक्षा और
  - कॉर्पोरेट परिवेश में ट्रांस सहकर्मियों को स्वीकार कर उनके साथ मिलकर कार्य करने के लिए अपने कार्यबल को शिक्षित करें।
- **जागरूकता:** विकासात्मक नीतियों का समर्थन करने के साथ-साथ थर्ड जेंडर को मुख्यधारा में लाने और ट्रांस-फोबिया से निपटने के लिए समाज में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। इसमें सहायता के लिए रोल मॉडल्स, गैर-सरकारी संगठनों व सिविल सोसाइटी को भी शामिल किया जा सकता है।
- **सकारात्मक कार्रवाई:** ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को संविधान के अनुच्छेद-15 एवं 16 के तहत 'पिछड़े वर्ग' का दर्जा दिया जाना चाहिए।
  - साथ ही, उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए।
- **प्रतिनिधित्व:** थर्ड जेंडर व्यक्ति के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देते हुए, उनके प्रतिनिधियों को नामांकन और चुनाव द्वारा संसद एवं राज्य विधान सभाओं में लाना महत्वपूर्ण है।
- **वैश्विक स्तर पर प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना-**
  - अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) मशीन रीडेबल पासपोर्ट के लिए वैश्विक नियम निर्धारित करने का कार्य करता है। यह संगठन तीन जेंडर श्रेणियों को मान्यता देता है: महिला, पुरुष, या जो अनिर्दिष्ट (unspecified) है उसके लिए "एक्स" श्रेणी।

- **ऑस्ट्रेलिया–न्यूजीलैंड– डार्लिंगटन वक्तव्य, 2017–** "द प्रायोरिटीज़ एंड कॉल्स बाई दी इंटरसेक्स ह्यूमन राइट्स मूवमेंट इन आवर कंट्रीज" (हमारे देशों में इंटरसेक्स मानवाधिकार आंदोलन की प्राथमिकताओं और उनकी मांगों) का निर्धारण।
- **नीदरलैंड** – नीदरलैंड ने अपने **राष्ट्रीय पहचान दस्तावेजों से जेंडर निर्धारक मार्कर्स को हटाने के लिए एक नीति जारी** की है। इसे **ट्रांसजेंडर और नॉन–बाइनरी लोगों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सचेत कदम** के रूप में देखा जा सकता है। नीदरलैंड संभवतः इस तरह के मार्कर्स को हटाने वाला विश्व का पहला देश है।

जेलों में थर्ड जेंडर

'लॉस्ट आइडेंटिटी: ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन इंडियन प्रिज़न्स' रिपोर्ट के अनुसार, भारत की जेलों में सभी कमजोर समूहों के बीच ट्रांसजेंडर लोगों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। उन्हें नागरिक के रूप में प्राप्त उनके अधिकारों और गरिमा से वंचित किया जाता है। इस रिपोर्ट को **कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI) और यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी,** स्कॉटलैंड द्वारा तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट में भारतीय जेलों में बंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर किया गया है।

- इस रिपोर्ट के तहत, **भारत में केवल 9 राज्यों ने पुरुष और महिला के अलावा थर्ड जेंडर कैदियों के डेटा को रिकॉर्ड किया है।** वहीं दूसरी ओर, अन्य राज्यों में राज्य के भीतर ही जेलों द्वारा डेटा की रिकॉर्डिंग के संबंध में एकरूपता का अभाव है।
- कर्नाटक राज्य के अलावा, अन्य किसी भी राज्य में **वर्ष 2014 के बाद** से ट्रांसजेंडर कैदियों को कानूनी पहचान के रूप में मान्यता देने से संबंधित **कोई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है।**
- वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के बीच, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में **जेल विभाग द्वारा किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति की भर्ती नहीं की गई है।**
- जेलों में थर्ड जेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों में **कर्मचारियों द्वारा सहायता की कमी, बहिष्कार, चिकित्सीय लापरवाही, शारीरिक हिंसा और लैंगिक शोषण आदि** शामिल हैं।

जेलों में थर्ड जेंडर की स्थिति में सुधार के उपाय

- **नीतिगत फ्रेमवर्क:** सरकार को जेलों में थर्ड जेंडर व्यक्तियों की **विशेष आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए एक मॉडल नीति तैयार करनी चाहिए।** साथ ही, सरकार को जेलों के भीतर चिकित्सा सुविधाओं तथा मनोरंजन/ कल्याण/ शैक्षिक गतिविधियों पर मार्गदर्शन की रूपरेखा भी तैयार करनी चाहिए।
- **आंकड़ों को शामिल करना:** गृह मंत्रालय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को जेलों और अपराधों पर अपने वार्षिक आंकड़ों (अर्थात् जेल सांख्यिकी **भारत एवं भारत में अपराध) में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के डेटा को शामिल करने का निर्देश** दे सकता है।
- **जागरूकता:** जेल विभागों को **जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन** (GISO) **से संबंधित मुद्दों पर कैदियों को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम** विकसित करने चाहिए। इन्हें जेलों के अंदर नियमित आधार पर आयोजित किया जा सकता है।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण:** राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जेल अधिकारियों और वार्डरों के **प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में** 'GISO: जेलों में LGBTQI+ व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण' पर **विशेष पाठ्यक्रम** शामिल हों।

> **जन्म के समय, हम सभी का एक जेंडर नियत किया जाता है। कभी–कभी जन्म के समय निर्धारित जेंडर हमारी आंतरिक सच्चाई से मेल नहीं खाता, इसलिए हमारे समाज में आत्म–पहचान के लिए एक जगह होनी चाहिए।" –गीना रोसेरो**

सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और LGBTQI+ का समावेशन

LGBTQI+ व्यक्तियों के लिए **'किसी को भी पीछे न छोड़ें (Leave No One Behind)'** सिद्धांत काफी प्रासंगिक है। वे भेदभावपूर्ण कानूनों, अप्रासंगिक परियोजनाओं और नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोणों के कारण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विकास पहलों में पीछे रह गए हैं। पूरी दुनिया में LGBTQI+ समुदायों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इनमें कम आय, खराब स्वास्थ्य, कम शिक्षा और अन्य प्रभाव शामिल हैं।

SDGs	LGBT समुदाय के लोग कैसे पीछे रह गए हैं	आवश्यक कार्रवाई
1 NO POVERTY निर्धनता की समाप्ति	• भेदभाव, रोजगार के सीमित अवसर, कार्य क्षेत्र का असुरक्षित परिवेश। • उदाहरण के लिए– फिलीपींस में LGBTQI+ लोगों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। उन्हें अनियमित और कम वेतन वाली नौकरियों तक सीमित कर दिया गया है।	• **LGBTQI+ द्वारा स्टार्टअप्स के लिए ऋण सहायता।** • कार्यस्थल पर भेदभाव को दूर करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप।
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण	• **स्वास्थ्य देखभाल (लैंगिक, प्रजनन व मानसिक) में शामिल नहीं किए गए हैं।** • उदाहरण के लिए– भारत में LGBTQI+ समुदाय की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं, जैसे– HIV परीक्षण, उपचार और कंडोम आदि तक कम पहुंच होती है।	• **LGBTQI+ के लिए समावेशी एवं भेदभाव रोधी नीतियां अपनाना।** • LGBTQI+ समुदाय की पहुंच में आने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत करना।
4 QUALITY EDUCATION गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	• **शिक्षकों और सहपाठियों द्वारा परेशान किया जाना, उच्च ड्रॉपआउट दर आदि।** • उदाहरण– ब्राजील में आत्महत्या करने के विचार वाले स्कूली छात्रों में LGBTQI+ समुदाय के छात्रों की संख्या सबसे अधिक थी।	• **समलैंगिकों, उभयलिंगी व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों आदि के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति।** • शिक्षण पाठ्यक्रम LGBTQI+ के लिए समावेशी होना चाहिए।
5 GENDER EQUALITY लैंगिक समानता	• **असंवेदनशील अधिकारी तथा LGBTQI+ के खिलाफ अपराधों और हिंसा की रिपोर्टिंग का अभाव।** • उदाहरण के लिए– दक्षिण अफ्रीका में LGBTQI+ समुदाय के केवल 12% लोगों ने मौखिक/शारीरिक शोषण से सुरक्षित महसूस किया और 27% ने कभी भी शोषण से सुरक्षित महसूस नहीं किया।	• अधिकारियों को संवेदनशील बनाना। • हेल्पलाइनों, आश्रय गृहों आदि के द्वारा LGBTQI+ समुदाय के लिए **जागरूकता और सहयोग को प्राथमिकता देना।**
10 REDUCED INEQUALITIES असमानताओं में कमी	• **जबरन नसबंदी, कानूनी रूप से जेंडर बदलने के अवसरों की कमी,** समलैंगिक संबंधों को अवैध माना जाना, LGBTQI+ समूहों को गैर-सरकारी संगठन बनाने से मना करना आदि। • उदाहरण के लिए– 55 देश आधिकारिक दस्तावेजों पर, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा अपने नाम और जेंडर बदलने के अधिकारों को मान्यता देते हैं।	• भेदभावपूर्ण कानूनों, नीतियों और प्रथाओं को समाप्त करने के लिए काम कर रहे LGBTQI+ समूहों का वित्त पोषण।
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES स्थायी शहर और समुदाय	• **परिवार द्वारा दुर्व्यवहार, मकान मालिक का पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होना, सहायक सेवाओं की कमी और सेवा प्रदाताओं में उनकी जरूरतों की सही समझ न होना।** • उदाहरण के लिए– इटली, तुर्की और युगांडा के अध्ययनों में LGBTQI+ समुदाय के बेघर होने की उच्च दर का खुलासा हुआ है।	• **सुरक्षित घर, स्थानीय सरकार और आवास संघों को सहायता व प्रशिक्षण जैसी** विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना। • **किफायती और गैर-भेदभावपूर्ण आवास** के विकल्प देना।
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS शांति, न्याय और मजबूत संस्थान	• पुलिस और सुरक्षा सेवाएं LGBTQI+ समुदाय के प्रति हिंसा की शिकायत को गंभीरता से लेने से मना कर देती हैं। • उदाहरण के लिए– यूरोपीय संघ में एक तिहाई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने हिंसा का अनुभव किया है।	• **LGBTQI+ समुदाय के प्रति संवेदनशीलता के लिए और उनसे भेदभाव होने पर प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षण** व हेट क्राइम को समाप्त करना।

निष्कर्ष

थर्ड जेंडर के व्यक्तियों का जीवन हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। यह समय की मांग है कि थर्ड जेंडर के प्रति नकारात्मक व्यवहार को बदला जाए और उनके प्रति हिंसा को समाप्त किया जाए। LGBTQI+ एक महत्वपूर्ण लैंगिक पहचान का मुद्दा है। समाज की मुख्यधारा में उनके एकीकरण के लिए सरकार और नागरिक समाज की कार्रवाई की आवश्यकता है। सरकार **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** की सहायता से उनके अधिकारों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। अब, भारत में थर्ड जेंडर समुदाय के विकास के लिए कलंक, भेदभाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करना समय की मांग है।

टॉपिक – एक नज़र में

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार, "ट्रांसजेंडर व्यक्ति" ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिनकी लैंगिक पहचान (Gender) जन्म के समय निर्धारित लिंग के साथ मेल नहीं खाती है। इसमें ट्रांस–पुरुष, ट्रांस–महिलाएं, अलग–अलग प्रकार के इंटरसेक्स (Intersex), जेंडरक्वीर (Genderqueer) और ऐसे सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति (जैसे– किन्नर, हिजड़ा आदि) भी शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, **भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कुल आबादी लगभग 4.88 लाख है।**

थर्ड जेंडर को दिए गए अधिकार

- वे **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19(1) और 21** के तहत समान अधिकार एवं संरक्षण के हकदार हैं।
- **अलग लैंगिक अभिविन्यास और लैंगिक पहचान** के व्यक्ति योग्याकार्ता (YP) द्वारा लाए गए कुछ सार्वभौमिक अधिकारों के हकदार हैं। इनमें से कुछ अधिकार निम्नलिखित हैं–
  - हिंसा, भेदभाव और अन्य नुकसान से राज्य द्वारा सुरक्षा का अधिकार।
  - शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता, स्वायत्तता एवं आत्मनिर्णय का अधिकार।
  - अपराधीकरण और किसी भी प्रकार की मंजूरी लेने से मुक्त होने का अधिकार।
- 29 सिद्धांतों की एक सूची के रूप में योग्याकार्ता सिद्धांतों को विकसित किया गया था। इसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम सहित 29 हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल थे।
  - ये सिद्धांत **बाध्यकारी मानक** हैं, जिनका सभी देशों को पालन करना चाहिए। साथ ही, इसके तहत देशों को लोगों के मध्य समानता को बनाए रखने का प्रयास भी करना चाहिए, चाहे उनकी लैंगिक पहचान कुछ भी हो।

थर्ड जेंडर समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियां

- **हाशियाकरण और सामाजिक बहिष्करण:** नस्लवाद, लिंगवाद व होमोफोबिया जैसे भेदभाव के कई प्रकारों का सामना करना पड़ता है।
- **कार्यस्थल पर भेदभाव: 96 प्रतिशत ट्रांसजेंडर्स को नौकरी देने से मना कर दिया जाता है** तथा उन्हें आजीविका के लिए कम वेतन या अगरिमापूर्ण कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- **शिक्षा:** शिक्षा प्रणाली में थर्ड जेंडर को शामिल करने के लिए बनाई गई नीति का खराब कार्यान्वयन, **गरीबी के कारण कम साक्षरता, शिक्षकों/कर्मचारियों का असंवेदनशील व्यवहार** आदि।
- **बेघर होना:** समलैंगिक युगल, ट्रांसजेंडर आदि के लिए आश्रय गृहों का अभाव।
- **ट्रांसफोबिया की समस्याएं: यह शारीरिक हमलों, भेदभाव और नकारात्मक मीडिया छवि** को बढ़ावा देता है। साथ ही, यह समाज में ऐसे समुदायों के एकीकरण को बाधित भी करता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल में बाधा:** ट्रांसजेंडर चिकित्सा में **विशेषज्ञता प्राप्त सेवा प्रदाताओं की कमी, वित्तीय सहायता, क्लिनिकल सुविधाओं के अभाव** आदि ने स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच को बाधित किया है।
- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** इसका कारण **उनकी पहचान संबंधी अस्पष्टता** और समाज में थर्ड जेंडर के रूप में न मानना है।
- **कम प्रतिनिधित्व:** एक मतदाता के रूप में बहुत कम भागीदारी। वर्ष 2019 तक, केवल **एक प्रतिशत ने ही अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग** किया था।

थर्ड जेंडर व्यक्तियों के लिए की गई पहलें

- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCT):** उनकी शिकायतों के निवारण के लिए समानता प्राप्त करने हेतु बनाई गई नीतियों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करना।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल:** देश में कहीं से भी प्रमाण–पत्र और पहचान–पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में उनकी मदद करना।
- **थर्ड जेंडर कॉलम:** रेल मंत्रालय द्वारा अपने आरक्षण फॉर्म में थर्ड जेंडर कॉलम को शामिल किया गया और रेलवे टिकट फॉर्म में ऑप्शन के रूप में ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया।
- **रोजगार:** मनरेगा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए रोजगार के अवसर लेकर आया है।
- **SMILE (आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता) योजना:** इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का कल्याण करना व उन्हें पुनर्वास प्रदान करना है।
- **समग्र स्वास्थ्य पैकेज:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत–PMJAY के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समावेशी पैकेज प्रदान करता है।
- पी.एम.–DAKSH/दक्ष (प्रधान मंत्री – दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही): इसके माध्यम से SMILE योजना के ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- **आश्रय गृह–गरिमा गृह:** भोजन, चिकित्सा देखभाल आदि बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय प्रदान करना।

भारत में थर्ड जेंडर के विकास को सुनिश्चित करने हेतु किए जाने वाले उपाय

- **आर्थिक समावेशन:** नीतियों में LGBTQI+ व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण, रोजगार योग्यता और उद्यमिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **नीतिगत हस्तक्षेप:** हितधारकों यानी LGBTQI+ आबादी को शामिल करके नीति विकसित की जानी चाहिए।
- **सेक्स/जेंडर रिअसाइनमेंट सर्जरी (SRS) संक्रमण (transition):** पुनर्वास सहायता और परामर्श के साथ इस बदलाव के दौरान सहयोग प्रदान करने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए।
- **पुनर्वास:** गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करके हिंसा, भेदभाव आदि समस्याओं के समाधान हेतु आश्रय गृहों की निगरानी करनी चाहिए।
- **ट्रांसजेंडर–समावेशी कार्यक्षेत्र:** संगठनों को अपने कार्यबल को लैंगिक समावेशन के प्रति शिक्षित करना चाहिए।
- **जागरूकता:** ट्रांसजेंडर–फोबिया से निपटने के लिए रोल मॉडल्स को शामिल करना चाहिए। साथ ही, सिविल सोसाइटी द्वारा थर्ड जेंडर को मुख्यधारा में शामिल करना चाहिए।
- **सकारात्मक कार्रवाई:** उन्हें संविधान के अनुच्छेद–15 व 16 के तहत 'अन्य पिछड़ा वर्ग' माना जाना चाहिए।
- **प्रतिनिधित्व:** उनके नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देकर संसद व राज्य विधान सभाओं में उनके प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए।
- **सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाएं:**
  - अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन तीन जेंडर श्रेणियों को मान्यता देता है: महिला, पुरुष, या जो अनिर्दिष्ट (unspecified) हैं, उनके लिए "एक्स" श्रेणी।
  - नीदरलैंड ने अपने राष्ट्रीय पहचान दस्तावेजों से लैंगिक मार्कर्स को हटाते हुए नीति जारी की है।